अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

अध्याय-III: वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए रा.रा.क्षे.दि.स. लेखाओं की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति के बारे में व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की पूर्णता, समयबद्धता और गुणवत्ता वित्तीय रिपोर्टों में प्रस्तुत जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

3.1 सरकार की अभुक्त देयताएं

अभुक्त देयताएं, जैसे कि निर्दिष्ट निकायों को एकत्रित उपकर का हस्तांतरण न करना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अल्प प्रेषण आदि, दीर्घकालिक रूप में राजकोषीय और शासन पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकती हैं। ये अदत्त बाध्यताएं समय के साथ बढ़ती जाती हैं, जिससे छिपी हुई देयताएं पैदा होती हैं जो राज्य/यूटी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत करती हैं। इसके अतिरिक्त, उपकर हस्तांतरण में विलंब इच्छित विकास या कल्याणकारी परिणामों में बाधा डालता है, जिससे वह उद्देश्य पूरा नहीं होता जिसके लिए इस तरह के शुल्क लगाए गए थे। आगामी वर्षों में, इस तरह के कार्य विश्वास को कम कर सकती हैं, कानूनी देयताओं को बढ़ा कर सकती हैं और भावी व्यय बाध्यताओं को बढ़ा सकती हैं, जिससे राजकोषीय स्थान बाधित हो सकता है और राजकोषीय संधारणीयता कमज़ोर हो सकती है। ऐसे मामलों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.1.1 प्रतिदाय के लंबित मामले

प्रतिदाय मामलों के निपटान में तत्परता, संबंधित विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पांच[1] कर संग्रहण विभागों में से व्यापार और कर विभाग ने लंबित प्रतिदाय मामलों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराए।

[1] व्यापार और कर, उत्पाद शुल्क, परिवहन, राजस्व, वन

संबंधित विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान प्रतिदाय मामलों का विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: प्रतिदाय मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर / मू.व. कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	5,534	989.28	3,175	774.83
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	13,107	1,949.81	822	44.56
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	7,654	स्वीकृत: 605.33 अस्वीकृत: 199.82	793	41.31
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	1,096	339.31	0	0
5.	न्यूनता ज्ञापन	981	110.73	-	-
6.	**वर्ष के अंत में बकाया शेष (1+2)-(3+4+5)**	**8,910**	**1,638.9**	**3,204**	**778.08**

इसी प्रकार की जानकारी उत्पाद शुल्क, परिवहन, राजस्व और वन विभागों से प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

3.2 सरकारी खातों के बाहर निधियां

3.2.1 दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)

01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी, बोर्ड), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कार्यालय से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2025 तक बोर्ड के पास ₹ 5,040.26 करोड़ उपलब्ध थे। उपकर की प्राप्ति और उपयोग के साथ शुद्ध प्राप्तियों का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है:-

तालिका 3.2: 2024-25 तक उपकर की प्राप्तियों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक प्राप्तियां				वास्तविक व्यय			शुद्ध प्राप्तियां
	एकत्रित उपकर	लाभार्थियों का अंशदान	अर्जित ब्याज	कुल	योजना पर व्यय	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय	
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8	9 (5-8)
प्रारंभिक शेष								4,340.38
2024-25	421.92	2.57	363.49	787.98	81	5.83	86.83	701.15
घटाएं: 31 मार्च 2025 तक काटा/जमा किया गया आयकर								1.27
उपलब्ध शुद्ध राशि								**5,040.26**

स्रोत: डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी, रा.रा.क्षे.दि.स.

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि श्रम आयुक्त का कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा एक आदेश पारित किया गया था (अगस्त 2005) जिसमें सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों को निविदा अधिसूचना के अनुसार स्वीकृत निर्माण लागत का एक *प्रतिशत* 'श्रम उपकर' के रूप में संविदाकारों को भुगतान करते समय बिलों से काटकर, बोर्ड के पक्ष में आदाता खाता चेक के माध्यम से 30 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया था। बाद में, बोर्ड ने एकत्रित उपकर को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे संबंधित जिले के अपने बैंक खाते में अंतरित करने का निर्देश दिया (नवंबर 2017)।

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 46 में, धारा 47 के प्रावधानों के अधीन, यह प्रावधान है कि प्राप्त सभी अनुदान और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ऋण की चुकौती में प्राप्त सभी धन और भारत सरकार से प्राप्त ऋण रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि नामक एक समेकित निधि का गठन करेंगे। अनुच्छेद 266 (2) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को केंद्र के लोक लेखा में जमा किया जाना चाहिए। जैसा कि सीएजी के वर्ष 2025 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.02 में उल्लेख किया गया है, बोर्ड के खाते में उपकर को सीधे जमा करने की यह प्रक्रिया संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अभिप्राय के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त, बीओसीडब्ल्यू उपकर नियमावली, 1998 में यह प्रावधान है कि एकत्र किए गए

उपकर को राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अधीन बोर्ड के लेखा शीर्ष में बोर्ड को अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, एकत्रित उपकर को पहले लोक लेखा में (यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है) दर्शाया जाना चाहिए और उधर से बोर्ड के खाते में अंतरित किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, बोर्ड को सरकारी लेखे में उपकर न दिखाने के कारण बताने का अनुरोध करते हुए एक लेखापरीक्षा प्रश्न (अगस्त 2025) जारी किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है। (फरवरी 2026)।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

3.3 उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) जमा करने में विलंब

जीएफआर, 2017 का नियम 238 यह निर्धारित करता है कि जहाँ सहायता अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं और ऐसे मामले जिनमें व्यय की विशेष वस्तुओं के विनिर्देश के रूप में सहायता अनुदान के उपयोग से शर्तें जुड़ी होती हैं या वह समय जिसके भीतर धन खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल आहरित किया गया था, सहायता अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति के संबंध में महालेखाकार को प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होंगे।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 19,973.59 करोड़ की राशि के 1,734 उ.प्र. जमा करने थे (मार्च 2024 तक आहरित किए गए सहायता अनुदान बिल)। इनमें से, ₹ 17,323.37 करोड़ के 482 उ.प्र. प्राप्त हो गए थे, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 2,650.22 करोड़ के 1,252 उ.प्र. बकाया रह गए **(परिशिष्ट 3.1)**।

उ.प्र. जमा करने में काल-वार लंबित मामलों का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है:

तालिका 3.3: उपयोगिता प्रमाणपत्रों की काल-वार लंबित संख्या

(₹ करोड़ में)

	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
	उ.प्र. की संख्या	राशि	उ.प्र. की संख्या	राशि	उ.प्र. की संख्या	राशि
2019-20 से पहले	1,225	1,538.29	22	1,166.64	1,203	371.65
2020-21	7	42.84	2	2.00	5	40.84
2021-22	56	278.41	36	59.88	20	218.54
2022-23	25	1,901.30	14	1,331.64	11	569.66
2023-24	421	16,212.75	408	14,763.21	13	1,449.53
कुल	**1,734**	**19,973.59**	**482**	**17,323.37**	**1,252**	**2,650.22**

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 तक पांच प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उ.प्र.

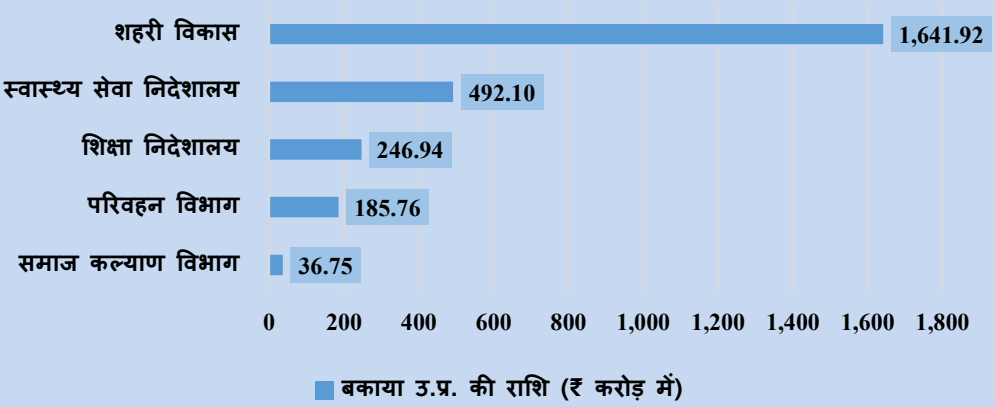

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 3.1 से पता चलता है कि ₹ 2,603.47 करोड़ की राशि के उ.प्र. अर्थात् बकाया उ.प्र. की कुल राशि (₹ 2,650.22 *करोड़*) का 98.24 *प्रतिशत* पांच विभागों से संबंधित थे, जिनमें से 61.95 *प्रतिशत* एक विभाग अर्थात् शहरी विकास (₹ 1,641.92 करोड़) से संबंधित थे।

चूंकि उ.प्र. जमा न करने से दुरुपयोग का खतरा होता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू की बारीकी से निगरानी रखे और समयबद्ध तरीके से उ.प्र. जमा करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराए।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित बकाया उ.प्र. से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए, पांच विभागों/संस्थाओं अर्थात् शहरी विकास विभाग, कानून, न्याय और विधायी कार्य विभाग, महिला और बाल विकास

विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग और मंडल आयुक्त, राजस्व विभाग को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। लेखापरीक्षा में आवश्यक अभिलेखों के अनुरक्षण में उल्लेखनीय कमियां पाई गईं, जो खराब तरीके से अनुरक्षित किए जा रहे थे या उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, जारी की गई निधियों के लिए आवश्यक उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप निधियों के उचित उपयोग पर आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ।

विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियां नीचे सारणीबद्ध हैं:

तालिका 3.4: बकाया उ.प्र. पर विभाग-वार प्रमुख अभियुक्तियां

विभाग/संस्थाएं	बकाया उ.प्र.		फॉर्म 12 ए में उ.प्र. का प्रारूप (जीएफआर, 2017 का नियम 238)	ब्याज जमा नहीं किया गया (जीएफआर, 2017 का नियम 230 (8))	जीएफआर, 2017 के नियम 234 के अंतर्गत अनुदानों के रजिस्टर का अनुरक्षण
	वित्त लेखे के अनुसार	विभागीय अभिलेखों के अनुसार			
शहरी विकास विभाग	₹ 1,641.92 करोड़	संगत स्वीकृति आदेश प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा देय और बकाया उ.प्र. की वास्तविक राशि का सत्यापन नहीं कर सकी।	दिल्ली छावनी बोर्ड और डीयूएसआईबी ने फॉर्म 19ए में उ.प्र. प्रस्तुत किए हैं।	₹ 1.26 करोड़	ठीक से अनुरक्षण नहीं किया गया।
कानून, न्याय और विधायी कार्य विभाग	₹ 1.37 करोड़	₹ 35.71 करोड़		दिल्ली विवाद समाधान सोसायटी (डीडीआरएस) ने ₹ 0.04 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अर्जित ब्याज की राशि का खुलासा नहीं किया, परंतु अन्य स्रोतों से आय दिखाई, जो इस अवधि के दौरान ₹ 2.11 करोड़ थी। तथापि, दोनों विभागों ने ₹ 2.15 करोड़ की आय सरकार को नहीं दी और अगले वर्ष के अनुदान के साथ इसका उपयोग किया, जो जीएफआर के प्रावधान के विरुद्ध था।	अनुरक्षण नहीं किया गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग	₹ 12.06 करोड़	₹ 14.11 करोड़	महिला एवं बाल विकास निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने निम्नलिखित संगठनों को अनुदान जारी किए थे:-		अनुरक्षण नहीं किया गया।

विभाग/संस्थाएं	वित्त लेखे के अनुसार	विभागीय अभिलेखों के अनुसार	फॉर्म 12 ए में उ.प्र. का प्रारूप (जीएफआर, 2017 का नियम 238)	ब्याज जमा नहीं किया गया (जीएफआर, 2017 का नियम 230 (8))	जीएफआर, 2017 के नियम 234 के अंतर्गत अनुदानों के रजिस्टर का अनुरक्षण
	बकाया उ.प्र.				
			1. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2. दिल्ली महिला आयोग 3. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी 4. दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय 5. चाइल्ड हेल्पलाइन तथापि, किसी भी संगठन ने निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था।		
सामान्य प्रशासनिक विभाग	₹ 11.41 करोड़	₹ 130.45 करोड़			अनुरक्षण नहीं किया गया।
मंडल आयुक्त, राजस्व विभाग	₹ 16.85 करोड़	₹ 2,535.81 करोड़		₹ 0.09 करोड़	अनुरक्षण नहीं किया गया।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सरकार को ब्याज का गैर-प्रेषण और अगले वर्ष के अनुदान के साथ अर्जित ब्याज का उपयोग करने जैसी अनियमितताएं पूर्वोक्त नियमावली का उल्लंघन है।

3.4 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) आवश्यक यथार्थ राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उन्हें सहायक दस्तावेज़ों के बिना, संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से, सेवा शीर्षों को डेबिट करके धन निकालने की अनुमति दी जाती है और इस व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

प्राप्तियां एवं भुगतान नियम 118 में यह प्रावधान है कि आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को इस तरह के अग्रिम के आहरण की तिथि से छह महीने के भीतर वित्तीय व्यय के समर्थन में वाउचरों के साथ विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल प्रस्तुत करने होते हैं। डी.सी. बिलों को जमा करने में विलंब या लंबे समय तक जमा न करने से लेखाओं की पूर्णता और सटीकता प्रभावित हो सकती है।

31 मार्च 2025 तक लंबित समायोजन वाले ए.सी. बिलों का विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: काल-वार ए.सी. बिलों का लंबित समायोजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
2020-21 तक	**3,181**	**160.92**
2021-22	102	14.11
2022-23	125	36.60
2023-24	97	49.96
2024-25	470	61.82
कुल	**3,975**	**323.41**

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2025 तक ₹ 323.41 करोड़ वाले कुल 3,975 ए.सी. बिल बकाया थे। यह पाया गया कि मार्च 2025 में ₹ 5.72 करोड़ (3.44 *प्रतिशत*) के 171 ए.सी. बिल आहरित किए गए थे। प्रधान पीएओ से 31 मार्च, 2025 तक समायोजित ए.सी. बिलों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। अपने उत्तर में, विभाग ने कहा (सितंबर 2025) कि संबंधित पीएओ से लंबित ए.सी. बिलों के लिए कारण मांगे गए हैं। अगला उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 64 सरकारी विभागों ने लेखाओं को बंद करने से पहले ₹ 61.82 करोड़ की राशि के 470 डी.सी. बिल जमा नहीं किए। इसके अतिरिक्त, 2024-25 के दौरान ₹ 166.31 करोड़ के ए.सी. बिलों में से, ₹ 5.72 करोड़ (3.44 *प्रतिशत*) मार्च 2025 से संबंधित थे।

नीचे दिया गया **चार्ट 3.2** कुल बकाया डी.सी. बिलों (₹ 323.41 करोड़) के 54.37 *प्रतिशत* (₹ 175.84 करोड़) पांच प्रमुख विभागों को दर्शाता है:

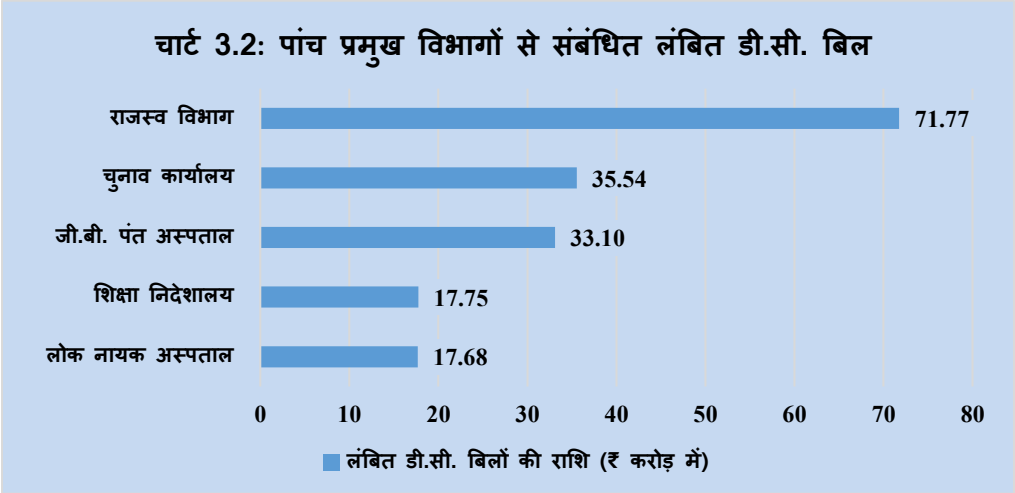

स्रोत: वित्त लेखे

लंबी अवधि के लिए अग्रिमों का समायोजन न करना दुर्विनियोग के जोखिम से भरा होता है और इसलिए, डी.सी. बिलों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीडीओ द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, डी.सी. बिलों की प्राप्ति न होने की सीमा तक, वित्त लेखाओं में दर्शाए गए व्यय को सही या अंतिम नहीं कहा जा सकता है।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने ऊपर उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित किया है (अक्टूबर 2025)।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित बकाया ए.सी. बिलों से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए, पांच विभागों/संस्थाओं, अर्थात् महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल, लोक नायक अस्पताल, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, पुरातत्व विभाग को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे सारणीबद्ध हैं:

तालिका 3.6: बकाया ए.सी. बिलों पर विभाग-वार अभियुक्तियां

विभाग	वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया ए.सी. बिल *(₹ करोड़ में)*	विभागीय अभिलेखों के अनुसार बकाया ए.सी. बिल *(₹ करोड़ में)*	डी.सी. बिल जमा करने में विलंब की अवधि (दिनों में)	प्राप्तियों और भुगतान नियमावली के नियम 110 के अंतर्गत आवश्यक आकस्मिक व्यय के रजिस्टर का अनुरक्षण
महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय	₹ 3.52 करोड़	₹ 3.52 करोड़	3 से 540 दिन **(परिशिष्ट 3.2)**	-
डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल	₹ 3.97 करोड़	₹ 3.97 करोड़	963-7,583 दिन **(परिशिष्ट 3.3)**	-
लोक नायक अस्पताल	₹ 17.68 करोड़	₹ 17.68 करोड़	1,382-5,458 दिन **(परिशिष्ट 3.4)**	अनुरक्षण नहीं किया गया।
न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला	₹ 5.93 करोड़	₹ 5.98 करोड़	402-3,743 दिन **(परिशिष्ट 3.5)**	-
पुरातत्व विभाग	₹ 6.11 करोड़	₹ 6.11 करोड़	409-580 **(परिशिष्ट 3.6)**	अनुरक्षण नहीं किया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2025) कि विलंब/लंबित होना मुख्य रूप से परियोजना के पूरा होने में विलंब या एनआईसीएसआई/ विक्रेताओं द्वारा इनवॉइस जमा न करने के कारण है, जब कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और अनुस्मारक जारी किए गए थे। यह अभ्युक्ति तब तक तर्कसंगत है जब तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लंबित ए.सी. बिलों का अंतिम निपटारा नहीं किया जाता।

लोक नायक अस्पताल ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2025) कि मामले को निपटारे के लिए खरीद शाखा को भेजा गया है। लोकनायक अस्पताल द्वारा लंबित ए.सी. बिलों के अंतिम निपटारे तक यह अभ्युक्ति तर्कसंगत है।

न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2025) कि ये बिल बहुत पुराने समय के हैं, जिससे अभिलेखों को ढूंढ़ना मुश्किल हो गया है, तथापि, संबंधित प्रभागों से संगत विवरण एकत्र करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ

बिल पहले से ही निपटारे के लिए प्रक्रियाधीन हैं। लंबित ए.सी. बिलों के अंतिम निपटारे तक यह अभ्युक्ति तर्कसंगत है।

तथापि, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल और पुरातत्व विभाग से उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2026)।

यह सिफारिश की जाती है कि लंबित ए.सी. बिलों के निपटारे के लिए अनुवर्ती कार्रवाई में तेज़ी लाएं और भविष्य में ए.सी. बिलों के तेज़ी से या समय पर निपटारे के लिए प्रयास किए जाएं।

3.5 व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते

संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अंतर्गत, व्यक्तिगत जमा ऐसे जमा हैं जो 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत खोले गए हैं और उन पर ब्याज नहीं मिलता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2024-25 (लेखाओं की टिप्पणी) में उल्लिखित विभिन्न प्रशासकों के व्यक्तिगत जमा का विवरण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: वर्ष 2024-25 के दौरान पी.डी. खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (01.04.2024 तक)		वर्ष 2024-25* के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2024-25* के दौरान संवितरण		अंत शेष (31.03.2025 तक)	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
11	66.99	0	71.27	0	103.90	11	34.36

**वर्तमान पी.डी. खातों में प्राप्ति और उससे भुगतान की राशि शामिल है*

तथापि, भारत सरकार के वित्त लेखाओं (विवरण संख्या 13[2] भाग- III, मुख्य शीर्ष- 8443- 106 व्यक्तिगत जमा) के अनुसार, अप्रैल 2024 तक प्रारंभिक शेष का विवरण, वर्ष के दौरान परिवर्धन एवं संवितरण और 31 मार्च 2025 तक का अंतिम शेष राशि नीचे दिए गए हैं:

[2] रा.रा.क्षे.दि.स. के लोक लेखे, जिसमें व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) दर्शाए जाते हैं, का संघ लेखाओं के साथ विलय हो जाता है

तालिका 3.8: भारत सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) की स्थिति (2024-25)

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (01.04.2024 तक)	वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्धन	वर्ष 2024-25 के दौरान संवितरण	अंत शेष (31.03.2025 तक)
राशि	राशि	राशि	राशि
408.27	- 88.97	103.90	215.40

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुसार, प्रारंभिक शेष ₹ 66.99 करोड़ था, वर्ष के दौरान प्राप्तियां ₹ 71.27 करोड़ थीं और अंत शेष ₹ 34.36 करोड़ था। तथापि, भारत सरकार के वित्त लेखाओं में ₹ 408.27 करोड़ का उच्च प्रारंभिक शेष, ₹ 88.97 करोड़ की ऋणात्मक प्राप्तियां और ₹ 215.40 करोड़ का अंत शेष दिखाया गया। दोनों अभिलेखों में केवल ₹ 103.90 करोड़ के संवितरण का आंकड़ा मेल खाता है।

प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों और अंत शेष में यह बेमेल इंगित करता है कि व्यक्तिगत जमा खातों का उचित समाधान नहीं किया गया है। सरकार को शेष राशि का समय पर समाधान सुनिश्चित करने और सभी प्रशासकों के खातों का खुलासा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि वित्त लेखाओं में व्यक्तिगत जमा राशि की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने उपर्युक्त तालिका में तथ्यों और आंकड़ों का सत्यापन किया है (अक्टूबर 2025)।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2025) कि उसने अंतर के समाधान के लिए संबंधित पीएओ के साथ निरंतर बैठकें करके प्रभावी कदम उठाए हैं। 2021-22 के अंत में ₹ 819.44 करोड़ के बकाया अंतर के 77.8 *प्रतिशत* का 2025 के अंत तक समाधान किया गया है और शेष अंतर के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

चयनित पी.डी. खातों का विश्लेषण

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित पी.डी. खातों से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए, दो विभागों/संस्थाओं अर्थात् भूमि और भवन विभाग और प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश (केंद्रीय), /तीस हज़ारी को

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.5.1 भूमि और भवन विभाग

पी.डी. खातों के अंतर्गत भूमि और भवन विभाग की ₹ 23.09 करोड़ की क्षतिपूर्ति निधि का गैर-संवितरण।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि भूमि और भवन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त क्षतिपूर्ति के लिए आरबीआई में एक व्यक्तिगत जमा खाता खोला हुआ था।

बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति से संबंधित ₹ 23.09 करोड़ की राशि छह वर्ष से अधिक समय से अवितरित रही और भूमि और भवन विभाग के पी.डी. खाते में पड़ी रही। विभाग ने इस राशि में से ₹ 7.19 करोड़ के लिए लंबित न्यायालयी मामलों और भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने को ज़िम्मेदार ठहराया। शेष ₹ 15.90 करोड़ के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसे लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, रोकड़ बही और आरबीआई विवरण के बीच ₹ 1,202.80 का अंतर पाया गया, जिसके लिए समाधान अभी पूरा नहीं किया गया है। लंबी अवधि तक खाते में धन को निष्क्रिय रखना खराब योजना और कमज़ोर निगरानी को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के लिए भूमि और भवन विभाग के व्यक्तिगत जमा खाते के लेनदेन की संवीक्षा के दौरान, प्रधान लेखा कार्यालय (प्रधान एओ) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और वित्त शाखा, भूमि और भवन विभाग द्वारा दर्ज आंकड़ों के बीच अंतर पाया गया। अभिलेखों के अनुसार, वित्त शाखा, भूमि और भवन विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए ₹ 70.22 करोड़ के विरुद्ध वर्ष के दौरान प्रधान एओ द्वारा ₹ 70.15 करोड़ का परिवर्धन दिखाया गया था। इसी प्रकार, वित्त शाखा, भूमि और भवन विभाग द्वारा दर्ज किए गए ₹ 102.92 करोड़ के विरुद्ध प्रधान एओ द्वारा ₹ 102.84 करोड़ का संवितरण किया गया।

विभाग ने कहा (सितंबर 2025) कि भूमि और भवन विभाग ने अपने आंकड़े विभाग द्वारा अनुरक्षित रोकड़ बही के अनुसार प्रस्तुत किए हैं, जब कि पीएओ

ने सिर्फ आरबीआई विवरण में दिखाए गए आंकड़ों को रिपोर्ट/का समाधान किया है।

इस बेमेल से पता चलता है कि भूमि और भवन विभाग और प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. के बीच उचित समाधान नहीं किया गया था, जो लेखाओं को सटीक रखने के लिए आवश्यक है।

3.5.2 जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटियाला हाउस न्यायलय

पटियाला हाउस न्यायलय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा न्यायालयी मामलों में किए गए किराए जमा के लिए किराया नियंत्रक के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक में एक पी.डी. खाता खोला हुआ है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति से संबंधित ₹ 1.48 करोड़ की राशि छह वर्ष से अधिक समय से अवितरित है और पटियाला हाउस न्यायलय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पी.डी. खाते में पड़ी है। विभाग ने वादियों द्वारा प्रत्याहरण आवेदन जमा न करने को गैर-संवितरण के लिए ज़िम्मेदार ठहराया (सितंबर 2025); तथापि, संवितरण प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए न्यायलय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

आगे यह भी देखा गया कि पी.डी. खाते के लिए कोई रोकड़ बही अनुरक्षित नहीं थी, जो एक आधारभूत वित्तीय नियंत्रण आवश्यकता है।

विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि में से ₹ 7.34 लाख अंतरण प्रविष्टियां करके परिसमाप्त कर दी गई और प्रतिकूल शेष को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.6 लघु शीर्ष-800 का प्रचालन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल उस समय प्रचालित किए जाने हेतु निर्दिष्ट है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित प्रचालन को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी रकम का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को

प्रभावित करता है और आबंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

i) वर्ष 2024-25 के दौरान, (38) मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 6,253.64 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 56,556.71 करोड़) का 11.06 *प्रतिशत* है, को उपयुक्त लघु शीर्षों की उपलब्धता के बावजूद लेखाओं में लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। विभाग को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किया गया था (अगस्त 2025)। अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2025) कि लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग में बढ़ोतरी का कारण रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग द्वारा दिया जाएगा। वित्त विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

वर्ष 2024-25 के दौरान लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किए गए महत्वपूर्ण व्यय नीचे **तालिका 3.9** में दिए गए हैं:

तालिका 3.9: लघु शीर्ष-'800 अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए गए महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष-'800 अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए गए व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1	2013- मंत्रिपरिषद	7.05	8.67	81.29
2	2041- वाहन कर	71.34	149.95	47.57
3	2075- विविध सामान्य सेवाएं	12.90	13.56	95.12
4	2211- परिवार कल्याण	56.03	66.03	84.86
5	2215- जल आपूर्ति और स्वच्छता	485.70	1,118.51	43.42
6	2250- अन्य सामाजिक सेवाएं	0.84	0.84	100.00
7	2404- डेरी विकास	13.57	13.57	100.00
8	2702- लघु सिंचाई	13.61	16.72	81.44
9	2801- विद्युत	3,628.11	3,628.11	100.00
10	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	16.93	20.07	84.32
11	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	86.81	87.22	99.51
कुल		**4,392.89**	**5,123.25**	

इस मुद्दे को पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी उल्लिखित किया गया था, तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार लघु शीर्ष-

800 के अंतर्गत वर्तमान में आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को लेखाओं के सही शीर्ष के अंतर्गत उचित रूप से बुक किया जाता है।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी राशियों के वर्गीकरण के लिए लेखापरीक्षा प्रश्न के माध्यम से कारण पूछे गए थे (अगस्त 2025)। अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अगस्त 2025) कि लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग में वृद्धि के लिए कारण रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे। वित्त विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

ii) वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 62,232.85 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 701.87 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष- '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 1.13 *प्रतिशत* था। वर्ष 2024-25 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक की गई महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्तियों के मामले नीचे **तालिका 3.10** में दिए गए हैं:

तालिका 3.10: लघु शीर्ष-'800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत बुक की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष- 800 के अंतर्गत बुकिंग	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	प्राप्तियों की प्रतिशतता
1.	0029- भू-राजस्व	0.02	0.02	100.00
2.	0059- लोक निर्माण	11.21	16.30	68.77
3.	0075- विविध सामान्य सेवाएं	0.01	0.01	100.00
4.	0202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	183.98	186.23	98.79
5.	0210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	87.07	117.83	73.90
6.	0217- शहरी विकास	2.42	2.42	100.00
7.	0230- श्रम और रोज़गार	3.48	4.73	73.57
8.	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.42	0.42	100.00
9.	0403- पशुपालन	0.07	0.07	100.00
10.	0406- वानिकी और वन्य जीव	2.61	2.61	100.00
11.	0425- सहकारिता	0.03	0.14	21.43
12.	0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.02	0.02	100.00
13.	0701- मध्यम सिंचाई	6.67	6.67	100.00
14.	0801- विद्युत	64.20	64.20	100.00
15.	0810- ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत	9.97	9.97	100.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष- 800 के अंतर्गत बुकिंग	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	प्राप्तियों की प्रतिशतता
16.	0851- ग्राम और लघु उद्योग	0.04	0.04	100.00
17.	1452- पर्यटन	0.12	0.12	100.00
18.	1456 - नागरिक आपूर्ति	0.36	0.36	100.00
19.	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.01	8.54	0.12
कुल		**372.71**	**420.70**	**88.59**

उपर्युक्त कारणों पर एक लेखापरीक्षा प्रश्न (अगस्त 2025) के उत्तर में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग ने कहा (अक्टूबर 2025) कि सभी संबंधित विभागों से अनुरोध किया गया था कि प्राप्तियों और व्ययों को सही लेखा शीर्ष के अंतर्गत बुक किया जाए और इसे बीई 2026-27 को अंतिम रूप देते समय दर्शाया जाए।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

3.7 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखाओं के रूप निर्धारित कर सकते हैं। सीएजी की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारत सरकार लेखांकन मानकों (आईजीएएस) को अधिसूचित किया है। इन आईजीएएस-2: सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण तथा आईजीएएस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के अनुपालन की जांच की गई और 2024-25 के दौरान उनमें कोई कमी नहीं पाई गई।

3.8 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की प्रस्तुति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के तहत रा.रा.क्षे.दि.स. के 16 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा सीएजी को सौंपी गई है। 31 मार्च 2025 तक, इन 16 स्वायत्त निकायों (ए.बी.) में से 15 के संबंध में 31 लेखे लंबित थे, जैसा कि **तालिका 3.11** में बताया गया है।

तालिका 3.11: 31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकायों के बकाया लेखे

क्रम सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे कब से लंबित हैं	30.09.2025 तक बकाया लेखाओं की संख्या
1.	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	2023-24	2
2.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	2019-20	6
3.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी)	2024-25	1
4.	दिल्ली कल्याण समिति (डीकेएस)	2022-23	3
5.	दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	2020-21	5
6.	डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय (एयूडी)	2024-25	1
7.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)	2024-25	1
8.	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)	2024-25	1
9.	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)	2024-25	1
10.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)	2024-25	1
11.	डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट	2024-25	1
12.	दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	2022-23	3
13.	डीटीसी पेंशन ट्रस्ट	2024-25	1
14.	दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू)	2024-25	1
15.	दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)	2022-23	3
कुल			**31**

स्रोत: विभागीय डाटा/जानकारी

वार्षिक लेखाओं को समय पर अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सरकार का निवेश लेखापरीक्षा और विधानसभा की संवीक्षा से बाहर रहता है। इसके परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि आवश्यक हो, समय पर नहीं किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब से सार्वजनिक धन के कुप्रबंधन और रिसाव का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ, 2021-24 के दौरान डीयूएसआईबी ने अव्ययित अनुदानों से ₹ 4.64 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था, जिसे न तो सरकार को प्रेषित किया गया और न ही अगले अनुदानों के प्रति समायोजित

करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया, जैसा कि जीएफआर 2017 के नियम 230 (8) के अंतर्गत आवश्यक था।

सरकार इन निकायों/प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतीकरण में शीघ्रता लाएं।

अन्य मुद्दे

3.9 पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी)

क) 280 दिनों की अवधि के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) न वसूलना।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09 अक्टूबर 2015 और 16 दिसंबर 2015 के आदेशों के आधार पर परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के माध्यम से दिल्ली के सभी प्रवेश बिंदुओं से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) वसूल कर रहा है और जिसे 04 मार्च 2016 की अधिसूचना द्वारा सरकारी खाते में जमा किया जाता है।

परिवहन विभाग के प्रदूषण नियंत्रण प्रभाग (पीसीडी) से प्राप्त ईसीसी से संबंधित आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला है कि 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान कुल ₹ 1,624.63 करोड़ एकत्र किए गए थे। तथापि, 06 अप्रैल 2018 से 26 अप्रैल 2018 (21 दिन) और 18 दिसंबर 2020 से 02 सितंबर 2021 (259 दिन) की अवधि के दौरान की गई वसूली लेखापरीक्षा को दिए गए आंकड़ों में नहीं पाई गई।

उपर्युक्त अवधि के दौरान ईसीसी की गैर-वसूली का कारण लेखापरीक्षा प्रश्न (सितंबर 2025) के माध्यम से मांगा गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

ख) ईसीसी के कारण एकत्र की गई ₹ 843.12 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी रही।

उच्चतम न्यायलय के दिनांक 09 अक्टूबर 2015 के आदेश के अनुसार, ईसीसी के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन को बढाने और सड़कों को बेहतर बनाने के लिए, विशेषकर सबसे अरक्षित

उपयोगकर्ताओं, अर्थात् दिल्ली में साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों के लिए किया जाना चाहिए।

परिवहन विभाग ईसीसी की वसूली कर रहा है जो परिवहन विभाग के माध्यम से "एमएच-8443-सिविल जमा" के अंतर्गत जमा किया जाता है।

उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, ईसीसी की वर्ष-वार कुल वसूली और व्यय निम्न प्रकार है:-

तालिका 3.12: ईसीसी की वर्ष-वार वसूली और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	ईसीसी की राशि	प्रगतिशील योग	व्यय	प्रगतिशील शेष
2015-16	144.06	144.06	0	144.06
2016-17	358.11	502.17	0.93	501.24
2017-18	472.63	974.79	0.15	973.71
2018-19	154.49	1,129.28	271.43	856.77
2019-20	89.25	1,218.53	9.00	937.02
2020-21	66.12	1,284.65	0	1003.14
2021-22	39.47	1,324.13	0	1042.62
2022-23	111.58	1,435.71	0	1154.20
2023-24	95.38	1,531.09	500.00	749.58
2024-25	93.54	1,624.63	0	843.12
कुल योग	**1,624.63**		**781.51**	

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार ₹ 781.51 करोड़ का उपर्युक्त व्यय सात बार खर्च किया गया था। 31 मार्च 2025 तक ₹ 843.12 करोड़ की राशि अव्ययित पाई गई। यह भी पूछा गया था कि क्या ईसीसी के कारण एकत्र की गई राशि के उपयोग के लिए कोई नीति तैयार की गई थी (संदर्भ: उच्चतम न्यायलय का आदेश 10 अप्रैल 2018)।

ग) त्रुटिपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया

एकत्र किए गए उपकर को परिवहन विभाग द्वारा सीधे लोक लेखे में मुख्य शीर्ष '8443-सिविल जमा' के अंतर्गत जमा किया जा रहा था। चूंकि ईसीसी रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्ति है, इसलिए इसे शुरू में रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि (सीएफ) में प्राप्ति के रूप में स्वीकार किया जाना आवश्यक है और फिर सीएफ को डेबिट करके लोक लेखे में अंतरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार,

ईसीसी के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई गई।

इस संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किया गया था (सितंबर 2025)। उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

3.10 वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां

i) ऋणों और अग्रिमों का न्यून/प्रतिकूल शेष

रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्ष 2024-25 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि विवरण सं.16 (सरकार द्वारा किए गए ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत विवरण) में ऋणों और अग्रिमों की न्यून/प्रतिकूल शेष राशि थी, जैसा कि नीचे **तालिका 3.13** में दिया गया है:-

तालिका 3.13: न्यून/प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	विवरण	उप-शीर्ष	31.03.2025 तक शेष राशि
1	6401	फसल पालन के लिए ऋण	105-खाद और उर्वरक	(-) 0.90
2	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	201-आवास निर्माण अग्रिम	(-) 5.54
3	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	202-मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-) 2.54
4	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	203-अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-) 0.28
5	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	204-कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	(-) 1.44

यह देखा गया कि विवरण के साथ कोई व्याख्यात्मक टिप्पणी नहीं दी गई थी। इस मुद्दे को पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था, तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

न्यून/प्रतिकूल शेष के कारण पूछे गए थे (अक्टूबर 2025)। प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि मुख्य शीर्ष '7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण' के अंतर्गत उपर्युक्त राशि में से ₹ 8.82 लाख की राशि अंतरण प्रविष्टियां करके परिसमाप्त कर दी गई हैं और प्रतिकूल शेष राशि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ii) ऋणों और अग्रिमों की बकाया राशि

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2025 तक 18 संस्थाओं से ₹ 1,97,856.44 करोड़ के ऋण बकाया थे, जिनका बकाया 6 वर्ष से 74 वर्ष तक के लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में बताया गया है। इनमें से ₹ 63,537.02 करोड़ (मूलधन ₹ 34,175.11 करोड़ और ब्याज ₹ 29,361.91 करोड़) की राशि 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं।

परिशिष्ट 3.7 की क्रम सं. 6 में सूचित स्थिति के संबंध में, डीएससीएससीएल ने सूचित किया (अक्टूबर 2024) कि ऋण और अर्जित ब्याज माफी के लिए वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को सिफारिश भेजी गई थी।

इसके अतिरिक्त, **परिशिष्ट 3.7** की क्रम सं. 15 में सूचित स्थिति के संबंध में, आईआईआईटी ने बताया (अक्टूबर 2024) कि ऋण की चुकौती के लिए चुकौती अनुसूची दिसंबर 2023 में प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई), रा.रा.क्षे.दि.स. को पहले ही भेज दी गई थी, जो विचाराधीन थी।

अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तथ्यों और आंकड़ों का सत्यापन किया और कहा (सितंबर 2025) कि मामले को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया है।

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इसी मुद्दे को इंगित किया गया था, तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

iii) विवरण सं. 11 में प्रदत्त निवेश संबंधी संचयी आंकडे विवरण सं. 12 के कुल निवेश आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं

रा.रा.क्षे.दि.स. के 2024-25 के वित्त लेखाओं के विवरण सं. 11 और विवरण सं. 12 की संवीक्षा से पता चला कि विवरण सं. 11 और 12 में दिखाए गए निवेशों में ₹ 289.23 करोड़ का अंतर है, जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में बताया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (सितंबर 2025) कि विवरण सं. 11 में

दर्शाए गए निवेश के आंकड़ों और विवरण सं. 12 में उल्लिखित निवेश के विवरण के बीच अंतर को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी मुद्दे का उल्लेख किया गया है, तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

iv) ऋणों और अग्रिमों की बकाया राशि (निबंधन और शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं)

वर्ष 2024-25 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विवरण सं. 16 के प्रकटीकरण सं. 2 में, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) (₹ 436.34 लाख) और दिल्ली एस.सी. वित्त और विकास निगम (₹ 1,356.94 लाख) को दिए गए दो ऋणों की चुकौती के संबंध में निबंधन और शर्तें अभी तक निर्धारित नहीं की गई थीं, यद्यपि ये क्रमशः 1998-99 और 1987-88 की प्रारंभिक अवधि से संबंधित थे।

अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2025) कि मामला संबंधित विभागों को भेज दिया गया था और उत्तर प्रतीक्षित थे।

इसके अतिरिक्त, वित्त लेखाओं के विवरण सं. 12 'मार्च 2025 के अंत तक किए गए निवेश का विवरण' के अनुसार, कुछ सहकारी समितियों की कुल प्रदत्त पूंजी में सरकार के निवेश की प्रतिशतता विवरण में नहीं दर्शायी गई थी। विवरण में प्रतिशतता न दिखाने के कारण पूछे गए (अगस्त 2025)।

अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2025) कि मामला सहकारी समिति के पंजीयक, रा.रा.क्षे.दि.स. को भेज दिया गया था। अगला उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

v) 1998-99 से बकाया ऋण होने के बावजूद संस्थाओं को नए ऋण का वितरण

वर्ष 2024-25 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं (विवरण सं. 16 का खंड 3 और नए ऋणों और अग्रिमों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण) की संवीक्षा से पता चला कि डीजेबी और डीयूएसआईबी पर बकाया ऋण होने के बावजूद,

रा.रा.क्षे.दि.स. ने नीचे दी गई **तालिका 3.14** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 2,325.51 करोड़ का नया ऋण वितरित किया है:

तालिका 3.14: चूककर्ता ऋणी संस्थाओं को नए ऋणों का वितरण

ऋणी संस्था	मार्च 2025 तक बकाया राशि *(₹ करोड़ में)*		सबसे प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया राशि संबंधित है	2024-25 के दौरान दिए गए नए ऋण *(₹ करोड़ में)*	31 मार्च 2025 तक कुल बकाया ऋण (ब्याज को छोड़कर) *(₹ करोड़ में)*
	मूलधन	ब्याज			
डीजेबी	40,111.03	44,175.92	1998-99	2,275.51	42,386.54
डीयूएसआईबी	1,255.21	972.06	2011-12	50.00	1,305.21
कुल	**41,366.24**	**45,147.98**		**2,325.51**	**43,691.75**

नए ऋण के वितरण के कारण पूछे गए (अगस्त 2025)। अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2025) कि मामले को राज्य संसाधन प्रभाग और शहरी विकास विभाग को भेज दिया गया है। अगले उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2026)।

vi) सरकारी निवेशों पर लाभांश प्राप्त न होना

विवरण सं. 12 के अनुलग्नक की संवीक्षा करने पर, जिसमें मार्च 2025 के अंत तक के सरकारी निवेशों को दर्शाया गया है, यह पाया गया कि "सरकार को प्राप्त और जमा किया गया लाभांश" स्तंभ के अंतर्गत लाभांश की कोई राशि नहीं दर्शायी गई है। सरकार के ₹ 21,745 करोड़ के निवेश का विवरण **परिशिष्ट 3.9** में दिया गया है।

यह स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण निवेशों के बावजूद, सरकार को लाभांश के रूप में कोई प्रतिफल जमा नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि संबंधित विभागों ने लाभांश आय की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी।

लेखापरीक्षा का विचार है कि लाभांश प्राप्त न होने से न केवल बिना किसी उत्पादक लाभ के सरकारी धन अवरुद्ध हो जाता है बल्कि सरकारी निवेशों की अपर्याप्त निगरानी भी दिखाई देती है।

लाभांश प्राप्त न होने के कारण पूछे गए (अगस्त 2025)। अपने उत्तर में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2025) कि इस मामले को

आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वित्त विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)।

vii) राजस्व में भारी वृद्धि/कमी

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों (कर, गैर-कर राजस्व) में पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में वृद्धि/कमी हुई। राजस्व शीर्षों में भारी वृद्धि/कमी नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 3.15: कर राजस्व (भारी वृद्धि/कमी)

(₹ हजारों में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	2023-24	2024-25	वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशतता
1.	0045	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2,460	10,539	8,079	328.41

तालिका 3.16: गैर-कर राजस्व (भारी वृद्धि/कमी)

(₹ हजारों में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	2023-24	2024-25	वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशतता
1.	0049	ब्याज प्राप्तियां	37,60,190	15,63,332	(-)21,96,858	(-)58.42
2.	0051	लोक सेवा आयोग	63,602	37,719	(-) 25,883	(-)40.70
3.	0055	पुलिस	73	20	(-)53	(-)72.60
4.	0056	कारागार	37,590	82,384	44,794	119.16
5.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	11,95,859	14,86,612	2,90,753	24.31
6.	0075	विविध सामान्य सेवाएं	5	114	109	2180.00
7.	0202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,52,950	18,62,340	9,09,390	95.43
8.	0211	परिवार कल्याण	164	10	(-)154	(-)93.90
9.	0217	शहरी विकास	11,558	24,215	12,657	109.51
10.	0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	549	4177	3,628	660.84
11.	0403	पशुपालन	392	723	331	84.44
12.	0405	मत्स्य पालन	162	120	(-) 42	(-)25.93
13.	0406	वानिकी और वन्य जीव	21,383	26,055	4,672	21.85
14.	0425	सहकारिता	2,458	1,436	(-) 1,022	(-)41.58
15.	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	202	0	(-) 202	(-)100.00
16.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	753	193	(-) 560	(-)74.37
17.	0701	मध्यम सिंचाई	3,09,642	66,710	(-) 2,42,932	(-)78.46
18.	0810	ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत	0	99,704	99,704	अनिश्चित
19.	0851	ग्रामीण और लघु उद्योग	455	353	(-) 102	(-)22.42
20.	1456	नागरिक आपूर्ति	2,386	3,617	1,231	51.59

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि सभी विभागों से राजस्व में वृद्धि/कमी का कारण बताने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त विभागों के उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

3.11 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य/यूटी में, लोक लेखा समिति (पीएसी)/वित्त विभाग को विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर संबंधित विभागों द्वारा स्वतः व्याख्यात्मक टिप्पणी (ईएन) प्रदान करना आवश्यक है। संबंधित विभागों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के तीन माह के भीतर पुनरीक्षण और आगे लोक लेखा समिति को भेजने के लिए प्रधान महालेखाकार को कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) उपलब्ध कराएं।

वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के एसएफएआर पर पीएसी द्वारा कोई चर्चा नहीं हुई है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने जुलाई 2025 में लेखापरीक्षा पैरा अनुवीक्षण प्रणाली (एपीएमएस) शुरू की, जिस पर एटीएन प्राप्त किए जा रहे हैं और संसाधित किए जा रहे हैं।

3.12 निष्कर्ष

- ₹ 2,650.22 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) (1,252 उ.प्र.) प्रतीक्षित थे, जो पूर्ववर्ती अनुदानों के उचित उपयोग का पता लगाए बिना नए अनुदान संवितरित करने की सरकार की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

- ₹ 323.41 करोड़ की राशि के विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल (3,975 डी.सी. बिल) अभी प्रतीक्षित थे।

- 15 स्वायत्त निकायों ने काफी समय तक अपने अंतिम लेखे प्रस्तुत नहीं किए। इसके परिणामस्वरूप, उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका और सरकार के निवेशों के परिणाम रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधानमंडल के क्षेत्राधिकार से बाहर रहे।

ये मुद्दे रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रशासनिक विभागों में कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत देते हैं।

3.13 सिफारिशें

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आलोक में, रा.रा.क्षे.दि.स.:

(i) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें;

(ii) नियमों के अंतर्गत अपेक्षित निर्धारित समय-सीमा के भीतर संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का समायोजन सुनिश्चित करें;

(iii) स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक प्रणाली लागू करें ताकि उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन हो सके।

नई दिल्ली **(नाज़ली जे. शाईन)**
दिनांक: 11 मई 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 18 मई 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**